



☎ : (कार्या.) 221900, (जिवास) 222622

फैक्स : 07582 - 222070, 224543

E-mail : dmsagar@nic.in

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर (म.प्र.)

OFFICE OF THE COLLECTOR & DISTT. MAGISTRATE SAGAR (M.P.)

क्रमांक 134/स्टेनो/2020

सागर, दिनांक 21-04-2020

आदेश

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 128/स्टेनो/2020 दिनांक 19-04-2020 द्वारा सागर नगर के निम्न क्षेत्रों 1- नगर निगम सागर 2- छावनी परिषद केन्द्र क्षेत्र सागर तथा 3- नगर पालिका क्षेत्र मकरोनिया बुजुर्ग में दिनांक 21-04-2020 की रात्रि 12.00 बजे तक द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 के अंतर्गत टोटल लॉकडाउन घोषित करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश आज दिनांक 21-04-2020 रात्रि 12.00 बजे तक के लिए प्रभावशील है। कोविड-19 के समुदाय में संक्रमण के प्रसार की आशंका को निर्मूल करने के लिए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश को दिनांक 23-04-2020 की रात्रि 12.00 बजे तक के लिए निरंतर किया जाता है। उक्त आदेश की कंडिका-01 से लेकर 7 तक में उल्लेखित समस्त प्रतिबंध, शर्तें एवं छूट संबंधी प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 21-04-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

संलग्न :- कार्यालयीन आदेश क्रमांक 128/स्टेनो/2020
दिनांक 19-04-2020 की प्रति

(कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित)

(अखिलेश जैन)

अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट
जिला सागर (म.प्र.)

सागर, दिनांक 21-04-2020

पृ० क्रमांक /स्टेनो /2020
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कमिश्नर सागर संभाग सागर की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन सागर की ओर सूचनार्थ।
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सागर की ओर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. आयुक्त, नगर पालिका निगम जिला सागर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी सागर /अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) समस्त जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त जिला अधिकारी जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. स्टेनो दू-कलेक्टर सागर की ओर सूचनार्थ।

उप संचालक/सहायक संचालक जनसंपर्क जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशनार्थ।

अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट
जिला सागर (म.प्र.)

